आशादेवी / शान्तिलाल
C 2022/1023

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
17.08.22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 06.09.2022 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	
06-09-22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया गया। अतः पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ दिनांक 28.09.2022 को पेश हो। संभागीय आयुक्त अजमेर	
28-09-22	पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का गौर किया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थी द्वारा नगर सुधार न्यास हाल अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर नियमन आदेश दिनांक 16.05.2013 के संबंध में इस न्यायालय में अतंर्गत नियम 30 राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय क्षेत्र भूमि निष्पादन) नियम 1974 के तहत प्रस्तुत की गई है। नगर सुधार न्यास (नगरीय क्षेत्र भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 30 न्यास द्वारा निलामी अथवा आवंटन के माध्यम से किये गये हस्तान्तरण को कानूनन सही हस्तान्तरण के परीक्षण का अधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त करती है। यह विवादित सम्पति ना तो नीलामी द्वारा अथवा ना ही आंवटन द्वारा हस्तान्तरण की गयी है। मुख्त्यारआम ने भी भूखण्ड का दिनांक 16.05.2013 को विधि पूर्वक नियमन कर दिये जाने के बाद दिनांक 24.01.2014 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जो इस नियम के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से यह निगरानी इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण की निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner